ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

1 **(क)प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006.12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्रीमति निर्मला देवी	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्रीमति कस्तुरबा शर्मा	23/01/2013 से 31/03/2016

सचिवः–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री राम कृष्ण	01/04/2013 से 15/01/2014
2	कु0 आशा	16/01/2014 से 19/02/2014
3	श्री राम कृष्ण	20/2/14 से 31/3/16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि(लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.01
2	9	अनुदान राशि का अवरोधन	10.09
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	0.47
4	11	क्रय की गई सामग्री का भंण्डारण न करना	0.03

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24/10/2016 से 29/10/2016 तक ग्राम पंचायत रक्कड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 3/14, 2/15 व 1/16 एवं व्यय के लिए माह 03/2014, 10/2014, व 07/2015 का चयन किया गयाा, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत रक्क्ड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 4 दिनांक 29/10/2016 द्वारा सचिव, पंचायत रक्कड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत रक्कड़ विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :'

4.1 <u>स्व स्त्रोत व अनुदान</u> :– ग्राम पंचायत रक्कड़ के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	51055.00	35908.00	86963.00	22217.00	64746.00

2014–15	64746.00	53309.00	118055.00	28604.00	89451.00
2015–16	89451.00	37841.00	127292.00	23701.00	103591.00

अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	148845.00	1935181.00	2084026.00	1845664.00	238362.00
2014–15	238362.00	2040489.00	2278851.00	1494485.00	784366.00
2015–16	784366.00	1873225.00	2657591.00	1648128.00	1009463.00
			कुल योग (क+ख)		**1113054.00**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण :–

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055859444	4772.00
2	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055860958	220.00
3	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	20121009789	221897.00
4	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055860142	8678.00
5	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50053901080	604158.00
6	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055860380	31169.00
7	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055858644	220.00
8	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055859104	38230.00
9	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055854182	35.00
10	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055858859	174441.00
11	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055860539	220.00
12	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055859896	220.00
13	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055860798	220.00
14	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50055861102	413.00
15	के0सी0सी0 बैंक योल कैन्ट	50053900916	431.00
		योग	**1092324.00**

मनरेगा खाते में जमा राशि

1	के0सी0सी0 बैंक नगरोटा बगवॉं	21314	2994.00
	कुल योग (सभा निधि + अनुदान + मनरेगा		**1095318.00**

बैंक समाधान विवरण :–

दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	1113054.00
दिनांक 31.03.2016 को बैंक के अनुसार जमा राशि	1095318.00
अन्तर	17736.00

अन्तर के कारणः–

चैक जो रोकड़ बही पर दर्ज किये गये परन्तु बैंक में जमा नहीं करवाये गये

1.	चैक संख्या 2861172 दिनांक 15.11.2006 राशि 6912.00		
2.	चैक संख्या 294140 दिनांक 03.10.2007 राशि 10000.00		16912.00
	हस्तगत राशि		824.00
		योग :	17736.00

उपरोक्त प्राप्ति के दस वर्ष पूर्व के चैकों को बैंक में जमा न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹16912 की राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।

5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

5.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियमो के विरूद्ध सत्तरह बैंक बचत खातो का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत रक्कड़ में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित सत्तरह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पन्द्रह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 खाता 'ख' में अर्जित ₹0.10 लाख ब्याज को खाता 'क' मे ं अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत रक्कड़ के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹10035 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह / वर्ष	कुल ब्याज
2013–14	7277.00
2014–15	2646.00
2015–16	112.00
कुल योग	**10035.00**

5.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविश्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत रक्कड द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 **निवेशः–**

ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

7 **बजट प्राकंलन तैयार न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राकंलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकंलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकंलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकंलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकंलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **पंचायत राजस्व ₹1.01 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत रक्कड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹101120/–की वसूली शेष थी।

गृहकर :–

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष
1	2013–14	9360.00	14840.00	24200.00	620.00	23580.00
2	2014–15	23580.00	14920.00	38500.00	120.00	38380.00
3	2015–16	38380.00	19920.00	58300.00	480.00	57820.00

मोबाईल टॉवरः–

क्र0सं0	वर्ष	मोबाईल टावरों की संख्या	प्राप्ति योग्य राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	प्राप्ति हेतू शेष राशि
1	2013–14	2	12200.00	6100.00	6100.00
2	2014–15	2	12200.00	6100.00	6100.00
3	2015–16	2	12200.00	6100.00	6100.00
		योग	**36600.00**	**18300.00**	**18300.00**

शराब शुल्कः–

क्र0सं0	वर्ष	प्राप्ति योग्य राशि
1	2015–16	25000 लगभग

कुल योगः– 57820 +18300+25000 101120.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान की राशि ₹10.09 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹10,09,463 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.47 लाख के पत्थरों का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹47000 के पत्थर/बोल्डर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदे गए पत्थरों/बोल्डर का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनांक	पत्थरों की सं0	दर	राशि	टिप्पणी
1	103	20.7.14	500	10	5000	
2	104	24.7.14	500	10	5000	
3	101	2.7.14	500	10	5000	

4	102	12.7.14	500	10	5000
5	105	28.7.14	500	10	5000
6	107	30.7.14	500	10	5000
7	106	29.7.14	500	10	5000
8	89	11.4.15	1200	10	12000
				कुल योग	**47000**

11. क्रय की गई ₹0.03 लाख की लेखन सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान निम्नविवरणानुसार क्रय की गई ₹3198/–की लेखन सामग्री को क्रय उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पश्ट करते हुए अविलम्ब समस्त क्रय की गई लेखन सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जायेः–

क0सं0	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	राशि	टिप्पणी
1	476	25.04.2013	शर्मा स्टेश्नर	लेखन सामग्री इत्यादि	193.00	
2	413	13.01.2013	राज प्रिंटर	–यथोपरि–	470.00	
3	22368	23.08.2014	दीपक ट्रेडिंग	–यथोपरि	100.00	
4	575	03.07.2014	आशा प्रिटिंग प्रैस	–यथोपरि–	1040.00	
5	239113	07.12.2014	दीपक ट्रेडिंग	–यथोपरि–	195.00	
6	365	22.12.2015	राज प्रिंटर	–यथोपरि–	1200.00	
				योग	**3198.00**	

12. ₹1.67 लाख की प्राप्ति रसीदें प्राप्त न करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चैक संख्या 190448 व 190449 द्वारा ₹124890/– व ₹42228/– की वापसी खण्ड विकास अधिकारी धर्मशाला को की गई दर्शाई गई है नियमानुसार वापिस की गई राशि की प्राप्ति रसीदें उक्त कार्यालय से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी जबकि यह रसीदें उक्त कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप वापिस

की गई इस राशि की वास्तविकता की जॉच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्यालय से उपरोक्त राशियों की प्राप्ति रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर इनकी जांच करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	दिनांक	चैक सं0	राशि	टिप्पणी
1	29.3.14	190448	124890	
2	31.3.14	190449	42228	
		कुल योग	**167118**	

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाब नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये ।

क्रम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	मोबाईल टॉवर रजिस्टर
3	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
4	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
5	निर्माण कार्य रजिस्टर
6	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
8	मस्ट्रोल रजिस्टर
9	स्टॉक रजिस्टर
10	विकास निश्पादन रजिस्टर
11	अग्रिम रजिस्टर

15 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यतता की जॉच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः–यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

17 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाब व नियमों की अनुपालना में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(ii) 59/2016–खण्ड–1–2073–2076 दिनाँकः 06.04.2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881